



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274871
CG-DL-E-27072026-274871

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3952]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948

No. 3952]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2026

का.आ. 4122(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) (एतश्मिन् पश्चात् उक्त अधिनियम से संदर्भित) की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनों के 'छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण' (पैन AAAJC1049H), जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) के अंतर्गत गठित एक प्राधिकरण है, उक्त प्राधिकरण को होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा: -

(क) सरकार से सहायता अनुदान या ऋण/अग्रिम के रूप में प्राप्त धनराशि;

(ख) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) के प्रावधानों के अनुसार बिल्डरों/डेवलपर्स, एजेंटों या किसी अन्य हितधारकों से प्राप्त शुल्क/जुर्माना; तथा

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इस शर्त के साथ लागू होगी कि छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (पैन: AAAJC1049H);

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 263 की उप-धारा (9) के खंड (ग) (xiii) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा; तथा

(ग) उक्त प्राधिकरण की गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे कर वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी।

3. पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफलता की स्थिति में धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III (सारणी: क्रम सं. 36) के तहत दी गई छूट वापस ले ली जाएगी और उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही भी की जाएगी।

4. यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-27 से 2027-28 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 100 /2026/ फा.स.300196/16/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव